

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास विभाग (गंगा सेल)
संख्या: 1335/सीजीए/नौ-5-2013-18(20)/2011टी.सी.
लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर जनहित याचिका संख्या 4003/2006 'रि: गंगा पोल्यूशन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य' में दिनांक 23.09.2013 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

Extensive damaged caused to both the STP's i.e. at Salori and Rajapur is a matter of serious concern and alarm.

As observed above, the responsibility and accountability has to be fixed and action taken against all those slack officials due to whose misdeed STP's have been damaged. Appropriate action is also required to be taken against the construction company which was entrusted in construction of STP & Ring Bandh and inquiry and action need to be taken at the highest level.

We direct the Principal Secretary, Urban Development Department, to institute an inquiry in the above matter and complete the same within a short span of time and place before the Court the action taken. We, further observe that the Principal Secretary, Urban Development Department, shall bring into the notice of the Chief Secretary of the State this order who may ensure that appropriate enquiry is conducted and action taken in the matter to fix the responsibility. We, further direct the Principal Secretary, Urban Development Department to take immediate measures to make the both STP's functional and to take all remedial measures including the protection of both the STP's so that it cannot be damaged by any further floods.

उपरोक्त के अनुपालन में एतद्द्वारा निम्नानुसार जॉच कमेटी गठित की जा रही है, जो सलोरी एवं राजापुर एस.टी.पी. व बक्शी बन्ध के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जॉच करेगी एवं तद्क्रम में उत्तरदायी अधिकारियों तथा निर्माण संस्था को भी चिन्हित करेगी:-

- (1) मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ। -सदस्य
- (2) मुख्य अभियन्ता (सोन), उ.प्र. सिंचाई विभाग, वाराणसी। -सदस्य
- (3) मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, इलाहाबाद -सदस्य

उक्त कमेटी विशेष सचिव, नगर विकास विभाग श्री एस.पी. सिंह की अध्यक्षता में कार्य करेगी तथा अपनी जॉच आख्या पन्द्रह दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

सी.बी. पालीवाल
प्रमुख सचिव


(क्रमशः.....2)

पृ.सं. व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ.प्र. शासन।
3. विशेष सचिव (श्री श्रीप्रकाश सिंह), नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
4. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
5. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
9. मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (सोन), उ.प्र. सिंचाई विभाग, वाराणसी।
11. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, इलाहाबाद।
12. मुख्य अभियन्ता (इलाहाबाद क्षेत्र), उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद।
13. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
14. उपसचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
15. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को ऑन लाइन अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,,


31.9.13

(हरेन्द्र सिंह बिष्ट)

अनुसचिव।